न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 54/2026

आदूराम पुत्र मूलाराम
बनाम
मोहनराम पुत्र रेवतराम वगैरा

दिनांक .05.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन/प्रकरण सं0 58/2025 बअनवान मोहनराम बनाम अन्दू वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.01.2026 के विरूद्ध विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–मोहनराम ने अप्रार्थी सं0 1 से 51 के विरूद्ध प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील घंटियाली स्थित ग्राम चिमाणा के ख0नं0 441/297 रकबा 30.4517 हैक्टर भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 01.01.2025 के अनुसार नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, मौका फर्द दिनांक 01.01.2025 अनुसार पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार घंटियाली को आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 20 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री रोशनलाल एवं प्रत्यर्थी सं0 1 के अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई तथा प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम चिमाणा के ख0नं0 297/1 के खातेदार काश्तकार है। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व अन्य मूल अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गये। अपीलार्थी का नोटिस तामिल होने पर जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिनका जवाब बंद किया गया। अन्य अप्रार्थीगण की सम्यक रूप से तामिल नही करवाकर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा बहस सुनते हुए दिनांक 06.01.26 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पडौसियों के साथ विवाद होना स्वीकार किया गया है, परंतु

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व टीम गठित किया

इसके बावजूद अपीलार्थी के खेत के माप के बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिन खसरों को लेकर तरमीम का विवाद है या तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र लंबित है, उनकी पत्थरगढी किया जाना संभव नही है। उनका नाप करवाये बिना एवं बिना सीमांकन के पत्थरगढी नही की जा सकती है। इसके अलावा आर.एल.आर. एक्ट की धारा 111, 128 के अनुसार जहां राजस्व नक्शा उपलब्ध हो, वहा राजस्व नक्शे के अनुसार ही पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता है तथा विवाद का विषय में पक्षकारों की साक्ष्य सुनवाई के पश्चात ही आदेश पारित किया जा सकता है। जबकि उपरोक्त मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में बिना साक्ष्य, सुनवाई के आदेश पारित कर दिया गया। जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि के पडौसी खातेदार है, जिनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। आदेश में भू माप के नक्शे अनुसार पैमाईश करने का कोई आदेश नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब–बहस की गई, उसकी अनदेखी करते हुए आदेश पारित कर दिया गया। मूल अप्रार्थीगण जिनके विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है, उन्हें अपील में पक्षकार नही बनाया गया है, क्योंकि उन्हें पक्षकार बनाने से प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। इसलिए अपीलार्थी मूल अप्रार्थीगण को अपील में पक्षकार बनाये जाने की छूट प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 1 से 51 पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया गया था। जिन्हें हस्तगत अपील में पक्षकार नही बनाया गया। रेस्पो0–प्रार्थी के वादग्रस्त खसरा की पैमाईश प्रार्थी एवं अन्य पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में दिनांक 01.01.2025 को मुस्तकिल बिन्दु से कर मौका फर्द तैयार की गई। प्रार्थी जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि में खूटे रोपने लगा, तो पडौसी खातेदारान अप्रार्थी सं0 1 से 51 ने मना कर दिया और उक्त पैमाईश को मानने से इंकार कर दिया गया। इससे प्रार्थी को अपनी भूमि में काश्त को लेकर अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थी ने वादग्रस्त खसरान की पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाने

हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थी सं0 52 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में ग्राम चिमाणा के वादग्रस्त ख0नं0 441/297 की भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी की हद में पैमाईश फर्द दिनांक 01.01.2025 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए किया जाना उचित होना बताया गया। अप्रार्थी सं0 20 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं0 1 से 19 व 21 से 51 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 20–अपीलांट अधिवक्ता जवाब पेश नही करना चाहते थे, इसलिए इनका जवाब बंद किया गया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने के कारण स्वीकार किया गया। जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं व्याक्याती भूल नही होने से अपील अपीलांट खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 52 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 20.05.25 के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रेषित रजिस्टर्ड सम्मन की डाक रसीद पेश हुई। जिनमें अप्रार्थी सं0 20–अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्हें समुचित अवसर दिये जाने के उपरांत जवाब प्रस्तुत नही किए जाने उनका जवाब बंद किया गया तथा अप्रार्थी सं0 52–तहसीलदार घंटियाली के जवाब/रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 06.01.2026 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। शेष रेस्पो0 पूर्व से अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अतः वकील अपीलांट का उपरोक्त आक्षेप मान्य नही है। स्वयं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में संयोजित सभी पक्षकारों को वर्तमान अपील में पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है और न ही किसी प्रकार का आक्षेप प्रस्तुत किया गया। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अहस्तक्षेपनीय है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप, फलौदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 58/2025 में पारित अपीलाधीन 06.01.2026 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 21/5/26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

21/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर